Postal Registration : DL (S)-17/3473/2015-17

वर्ष 9, सितंबर 2016

25/- रुपए

बिल्ड इंडिया

पैनी नज़र खोजी ख़बर

उत्तर प्रदेश चुनाव

ओबीसी आरक्षण

विवाद से कन्नी काट रही भाजपा-सपा

पाक का नापाक छद्म युद्ध

निर्णायक सैन्य कार्रवाई जरूरी

ओबीसी आरक्षण विवाद से कन्नी काट रही भाजपा-सपा

यूपी के चुनावी दंगल में निर्णायक माने जा रहे ओबीसी वर्ग को साधने के लिए भाजपा और समाजवादी पार्टी बेशक एक.दूसरे को चुनौती पेश कर रही हैं। मगर इस वर्ग के हितों के मामले में दोनों ही पार्टियां कन्नी काटती दिख रही हैं। दोनों ही पार्टियां ओबीसी आरक्षण के विवाद से दूरी बनाए रखना चाह रही हैं।

यही वजह है कि हाल ही में हुई राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक में यूपी के प्रतिनिधि भी शामिल होने नहीं पहुंचे। तो केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत ने भी बैठक से दूरी बनाई। दरअसल समाजवादी पार्टी ओबीसी को मिले 27 प्रतिशत आरक्षण के अंदर उपवर्गीकरण के पक्ष में नहीं है। जबकि आयोग की बैठक में ओबीसी आरक्षण के नीति पर मंथन होना था। आयोग ने प्रस्ताव पारित कर ओबीसी के हित के लिए सरकार के सामने जो प्रमुख मांगे रखी हैं। उसमें इंदिरा साहनी मामले का हवाला देते हुए ओबीसी आरक्षण को उपवर्ग में बांटने का मामला प्रमुख है। समाजवादी पार्टी इस मामले का विरोध करती रही है। बताया जा रहा है कि विवाद से बचने के लिए ही यूपी का नुमाइंदा बैठक में शामिल होने नहीं आया।

तो गुजरात में पटेल, हरियाणा में जाट और महाराष्ट्र में मराठों ने आरक्षण की मांग कर भाजपा के लिए संकट पैदा कर रखा है। ऊपर से सरकार पर जातिगत जनगणना के आंकड़े को सार्वजनिक करने का दबाव है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक से केंद्रीय मंत्री गहलोत के दूरी बनाने की मुख्य वजह यही मानी जा रही है।

सूत्र बताते हैं कि यूपी चुनाव की सियासी मजबूरी को भांपते हुए ही आयोग ने ओबीसी वर्ग के हित को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव के रूप में पीएम को अपनी कुछ मांगे भेजी है। मगर सपा-भाजपा की बेरूखी से आयोग की मांगों को झटका लगा सकता है। लेकिन आशा भरा रूख दिखाते हुए आयोग के सदस्य डा. शकील उज जमान अंसारी का कहना है कि पीएम मोदी पिछड़ी बिरादरी से हैं। इसलिए लोगों में उत्साह जगा है कि ओबीसी के सारे मसले हल हो जाएंगे।

क्या है ओबीसी आरक्षण का उपवर्गीकरण

वर्तमान में पूरे ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। लेकिन इसका लाभ कुछ संपन्न जातियों को ही मिल पा रहा है। आरक्षण का लाभ वंचितों को मिले इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी मामले में रूख स्पष्ट करते हुए ओबीसी आरक्षण के उपवर्गीकरण करने की बात कही है। उपवर्गीकरण के जरिए ओबीसी का 27 प्रतिशत आरक्षण विभिन्न जातियों की तीन श्रेणी में बंट जाएगा। आयोग ने इसी उपवर्गीकरण पर जोर दिया है।

ओबीसी कोटे में घुमंतु जातियों के कोटे को हम करो या मरो का मुद्दा बनाने वाले हैं

प्रश्नः आपने ओबीसी कोटे को लेकर यूपीए शासन के दौरान जो आवाज उठाई थी उसकी रिपोर्ट आयोग को देने में काफी समय लगा था, उस विलंब का कारण क्या था, और अब जब रिपोर्ट आए डेढ़ वर्ष से ज्यादा का समय निकल चुका है तब भी इसमें विलंब हो रहा है। इसे लेकर यह प्रश्न खड़ा हो गया है कि कहीं आपने इस मुद्दे को राजनीतिक एजेंडे के तौर पर तो नहीं उठाया था?

हरिभाऊ राठौर पूर्वसांसद

उत्तरः नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस मुद्दे को पूरी तरह से वास्तविक संदर्भ में उठाया गया था। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोग इसे लेकर राजनीतिक करते हैं जो कि सही नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंडल कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की थी, और आपको मालूम होगा कि देशभर में वर्तमान में 3000 जातियां हैं जो ओबीसी श्रेणी में आती हैं। इस आयोग में एल्लाह नाम के एक सदस्य थे, उन्होंने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इसमें घुमंतू समुदायों सहित अन्य दबे कुचले समुदायों को भी शामिल किया गया है और अन्य प्रभावी समुदायों को भी, जो कि सही नहीं है, क्योंकि प्रभावशाली समुदाय कमजोर समुदाय के हक को हड़प जाएगा। तब मंडल साहब ने उन्हें जवाब दिया था कि अब चूंकि बहुत-सी बैठकें हो चुकीं हैं, इसलिए अब आप यह कीजिए कि जो भी आपके मंतव्य या विचार हैं उसे दर्ज करा दीजिए हम आगे चलकर उनको इसमें शामिल करेंगे। तब उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बहुत सटीक तरीके से तमाम आशंकाओं को उठाया था। जब वी पी सिंह ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में 1993 में 27 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की थी, तब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। वहां इस केस में नौ जजों की पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा था कि इसे दो से तीन भागों में बांट दिया जाना चाहिए, तभी इसका लाभ समाज के वंचित वर्गों तक समान रूप से पहुंच पाएगा। जब प्रश्न उठा कि क्या है संवैधानिक तौर पर सही होगा, तब पीठ ने कहा यह बिल्कुल संवैधानिक तौर पर सही होगा। इसके पीछे का तर्क यह था कि एक समुदाय जो पत्थर तोड़ने का काम करता है और दूसरा समुदाय यदि सुनार है, तो निश्चित तौर पर सुनार समुदाय का व्यक्ति ज्यादा लाभ उठाएगा। आपको एक रुचिकर उदाहरण से समझाना चाहूंगा। बाबा साहब अंबेडकर से भी पहले 1902 में महाराष्ट्र में साहू जी महाराज ने आरक्षण की बात छेड़ी थी, तब लोगों ने उनसे जानना चाहा था कि महाराज जी यह आरक्षण की व्यवस्था क्या है, हमें इसके बारे में स्पष्ट कीजिए। महाराज जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि यदि आप एक कमजोर घोड़े और एक मजबूत घोड़े को एकसाथ चना खाने के लिए देंगे, तो मजबूत घोड़ा, कमजोर घोड़े के हिस्से का भी चना खा जाएगा।

ओबीसी कोटे में 9 प्रतिशत घुमंतु जातियों को, 9 प्रतिशत अति पिछड़ा वर्ग को और बाकी 9 प्रतिशत जाट व यादव जैसी जातियों को दिया जाए...

आज बिल्कुल वही स्थिति हो रही है। आप ने 27 प्रतिशत आरक्षण दे दिया लेकिन एक ही थाली में 3000 जातियों को एक साथ खाने के लिए बुला लिया, ऐसे में हर कोई समान रूप से अपने हिस्से का भोजन कैसे कर पाएगा। इसे समझने के बाद मैंने इसमें सुधार लाने की मांग की थी, हालांकि यह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आदि राज्यों में हो चुका है, अब मैं चाहता हूं कि इसे केंद्र में भी लागू किया जाए और अन्य राज्य भी इस व्यवस्था को अपनाएं। उक्त राज्य 60 और 70 के दशक में ही इस व्यवस्था को अपना चुके हैं, तो इसे अन्य राज्यों में लागू करने में क्या कठिनाई है। बाबा साहब ने संविधान के अनुच्छेद 16(4) में यह विधान किया है कि यदि किसी समुदाय को बराबरी का दर्जा नहीं मिला है या समान रूप से उसको हक नहीं मिला है तो आप उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं। आपको मालूम हो कि सोनिया गांधी जी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् (एनएसी) की अध्यक्ष थीं, वहीं से महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, आधार आदि निकला है। इसे लोग कतई नहीं भूला सकते हैं। यह अलग बात है कि इस सबके लिए एनएसी के योगदान का उतना अधिक प्रचार नहीं किया जाता है। फिर मैं ओबीसी कोटे के मसले को सोनिया जी के प्रकाश मे लाया। मैंने उनसे तीन चार बार इसके लिए आग्रह किया तो उन्होंने इसको एनएसी यानी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल पर ले लिया और उसके बाद तीन-चार बार बैठक कर उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार कर शायद सरकार को दे दिया था। उसके बाद राजेश कांत ने जाटों को ओबीसी लिस्ट में डाल दिया गया। इससे मुझे बहुत दुःख पहुंचा। मैंने कहा कि देखो इस मुहिम के लिए मैंने कांग्रेस का समर्थन किया और मेरे साथ ही उन्होंने अन्याय किया। फिर इसके संबंध में मैं तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी मिला। मैंने उन्हे आपबीती बताते हुए कहा कि देखिए कांग्रेस ने कैसे मेरे साथ अन्याय किया है। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको क्या चाहिए। मैंने कहा कि आपने ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया है, चाहें तो उसे कम कर दीजिए लेकिन हमें इसके अंदर लीजिए, तब उन्होंने जजों को लिखा कि क्या ओबीसी को उप वर्गीकृत किया जा सकता है या नहीं, कृपया इसकी जांच करें। तो वह चिट्ठी गई डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट ने चिट्ठी को इस कार्य के लिए निश्चित आयोग के पास भेज दिया। उस वक्त आयोग के अध्यक्ष थे जस्टिस ईश्वरैया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट फरवरी 2015 में ही दे दी थी और उसके बाद से डेढ़ वर्ष का समय निकल चुका है। जब आयोग में चिट्ठी गई थी तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और अब भाजपा की सरकार है। अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम गरीब लोग कहां जाएं। अब हमें आगे का रास्ता यह दिख रहा है कि हम इसे उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में मुद्दा बनाएं। हम इस मुद्दे को चुनाव के दौरान करो या मरो का मुद्दा बनाने वाले हैं और हमारा विरोध भाजपा और सपा दोनों के विरोध में होगा।